



कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- भरतपुर में ग्राम विकास अधिकारी को 17 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार
- आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी

जयपुर, 28 जनवरी। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की भरतपुर इकाई द्वारा आज गुरुवार को डीग भरतपुर में कार्यवाही करते हुये ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सामई, पंचायत समिति डीग कीर्ति कुमार जोशी को 17 हजार रुपये की रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की भरतपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि ग्राम पंचायत शीशवाडा के विकास कार्यों की ऑडिट सही करवाने एवं ऑडिट में कमी एवं रिकवरी नहीं निकलवाने की एवज में आरोपी ग्राम विकास अधिकारी कीर्ति कुमार जोशी 40 हजार रुपये की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की भरतपुर इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री महेश मीणा के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज अपनी टीम के साथ डीग भरतपुर में ट्रेप कार्यवाही करते हुये कीर्ति कुमार जोशी पुत्र श्री डालचन्द जोशी निवासी गांव खेडा ब्राह्मण तहसील डीग, पुलिस थाना डीग जिला भरतपुर हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सामई पंचायत समिति डीग तत्कालीन अतिरिक्त चार्ज ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत शीशवाडा पंचायत समिति डीग भरतपुर को 17 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाइन नं. 1064 एवं Whatsapp हैल्पलाइन नं. 94135-02834 पर 24x7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।